न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 171/2007 — दायर दिनाँक 12.11.2007

वादी

1. नानूराम पुत्र छोटूराम फौत
1/1 सोहनीदेवी पत्नी नानूराम
1/2 विमलादेवी पुत्री नानूराम
1/3 मंजू पुत्री नानूराम
1/4 छोटी देवी पत्नी सांवतसिंह
1/5 सुनिल पुत्र सांवतसिंह
1/6 अनिल पुत्र सांवतसिंह जरिये संरक्षक माता छोटीदेवी समस्त जाति जाट निवासी निम्बा का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. हरलाल पुत्र छोटूराम
2. परताराम पुत्र छोटूराम
3. तुलछाराम पुत्र छोटूराम समस्त जाति जाट निवासीगण निम्बा का बास तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
4. तहसीलदार डीडवाना।
5. श्रीमान जिलाधीश महोदय नागौर राज0।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 88

1. श्री ओमप्रकाश पूनियां वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 10.02.2025

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 60 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं0 619 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं0 62 रकबा 43 बीघा 17 बिस्वा ग्राम निम्बा का बास, पटवार हल्का बांसा, भू–अभि0 नि0 मौलासर तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

उपरोक्त सजरा खानदान से स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 एक परिवार के सदस्य है तथा पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमियां संयुक्त पैतृक कृषि भूमियां है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का 1/4–1/4 हिस्सा है तथा कब्जा काश्त वंशानुगत रूप से चला आ रहा है।

कृषि भूमि खसरा सं0 60 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाडी जिसके पुराने खसरा सं0 33/1 तथा खसरा सं0 61 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै0मु0 पायतन जिसके पुराने खसरा सं0 33 है। जिसका मिलान क्षैत्रफल व खसरा सं0 गिरदावरी व जमाबंदी संलग्न पेश कीजा रही है। कृषि भूमि खसरा सं0 60 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा व खसरा सं0 61 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा पर पूर्व में वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता छोटू राम का कब्जा काश्त रहा है तथा सम्वत 2010 से 2012 व 2020 से 2023 तक की जमाबन्दी में छोटू पुत्र रूपा के नाम दर्ज है, इस कारण सम्वत् 2020 से 2023 तक वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता छोटू रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार तब से उक्त कृषि भूमि पर वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 निर्बाध रूप से काबिज काश्तकार होकर उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है।

प्रतिवादी सं0 4 ने कृषि भूमि कृषि भूमि खसरा सं0 60 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा व खसरा सं0 61 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा में गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार ... व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को उनके हिस्से से बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है ... प्रतिवादी सं0 4 अपने उक्त कुउद्धेश्य में सफल हो जाते है तो वादी को ऐसी असीम क्षति ... जिसकी तलाफी बाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो पायेगी, इस कारण प्रतिवादी सं0 ... जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबन्ध फरमाया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार हैः–

डिक्री बहक वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 विरूद्ध प्रतिवादी सं0 4 पारित फरमाई जाकर कृषि भूमि खसरा सं0 60 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व खसरा सं0 61 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावें।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात में तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक 88 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त तथा मौखिक साक्ष्य में स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू 2, पीडब्ल्यू 3, पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू 5, पीडब्ल्यू 6 दिनांक 21.02.2022 को पेश होकर मौखिक साक्ष्य दर्ज करवाये है।

वादी की तरफ से लिखित बहस पेश हुई जो इस प्रकार है ग्राम निम्बा का बास, पटवार हल्का बांसा के पुराने खसरा सं0 33/1 व 33 वर्तमान खसरा सं0 35 रकबा 0.20 हैक्टे0 व खसरा सं0 36 रकबा 1.58 हैक्टे0 की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में छोटू पुत्र रूपा कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज था। जिसके साक्ष्य में खतौनी नकल सम्वत् 2006 व लगान पर्चा सम्वत् 2006 पत्रावली शामिल है। वादीगण के पितामह छोटू पुत्र रूपा कौम जाट की खातेदारी सम्वत् 2006 से लगातार सम्वत् 2023 तक अर्थात रिसेटलमेन्ट सम्वत 2022 तक राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिस पर वादीगण पीढियों से काबिज है। जागीरदार फतेहसिंह के समय से ही खसरा सं0 33/1 गै0मु0 नाडी व खसरा सं0 33 गै0मु0 पायतन दर्ज रहा है। जिसमें काश्तकार छोटू पुत्र रूपा खातेदार दर्ज था। जो लगातार सम्वत 2006 व सम्वत 2010 से 2012 से 2023 तक दर्ज रहा। परन्तु भू–प्रबन्धक कार्यवाही सम्वत् 2022 के दौरान सम्बन्धित कार्मिक के द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी न्यायालय आदेश के उक्त खसरा सं0 33/1 व 33 की भूमि को राजकीय खातेदारी में दर्ज कर दिया।

बहस पर मनन किया व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम निम्बा का बास के पुराने खसरा सं0 33/1 व 33 वर्तमान खसरा सं0 35 रकबा 0.20 हैक्टे0 व खसरा सं0 36 रकबा 1.58 हैक्टे0 भूमि की खातेदारी प्राप्त कर रेकार्ड दुरूस्त करने की वादी इस्तदुआ कर रहा है। राजस्व रेकॉर्ड में 33/1 गै0मु0 नाडी तथा खसरा सं0 33 गै0मु0 पायतन दर्ज है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार उक्त खसरा नम्बर साबिक से ही नाडी व पायतन के रूप में काम लिए जा रहे है। गै0मु0 नाडी तथा गै0मु0 पायतन की भूमि धारा 16 आर0टी0ए0 के तहत प्रतिबंधित भूमि है जिस पर अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। उक्त खसरान भूमि को वादी अपने स्वामित्व व कब्जा काश्त की होना भी प्रमाणित नही कर पाया है, ऐसी स्थिति में वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त कर रेकर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी नही है।

उपरोक्तानुसार वादी का हस्तवाद अदम साक्ष्य में तथा प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

ग्राम निम्बा का बास के पुराने खसरा सं0 33/1 व 33 वर्तमान खसरा सं0 35 रकबा 0.20 हैक्टे0 व खसरा सं0 36 रकबा 1.58 हैक्टे0 के घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनाँक 10.02.2023 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:21:56 IST
Reason: SelfAttested

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना